:: आदेश ::

शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010दिनांक 17-12-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें सन्दर्भित शासनादेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्नातरण के मामलों में जनपदों द्वारा चिह्नित/प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किया गया है।

शासनादेश संख्या 881 XVII(2)/2009 दिनांक 01-04-2009 के द्वारा जनपद से प्रस्तावित 757.226हे0 भूमि के सापेक्ष 537.868 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित की गयी है तथा अवशेष 219.358हे0 भूमि प्रस्तावित है । वर्तमान में तहसील डुण्डा से 267.181हे0 भूमि तथा तहसील बड़कोट से 43.399 हे0 कुल 310.580हे0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है। उपरोक्त शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/ 2010 दिनांक 17-12-2012 के अनुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358हे0 भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580हे0 भूमि कुल 529.938हे0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरित की जा सकती है ।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358हे0 भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580हे0 भूमि कुल 529.938हे0 भूमि को उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण करने का अनुमोदन दिया जाता है ।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या: रि-49/पी0ओ0-2013 दिनांक जनवरी, 08, 2013।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी ।
3- संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी
4- संबंधित विभागीय अधिकारी, उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।